

30/12/03

27/1/04

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर बारां

आज्ञा-पत्र

उनवान

दखलनामा

बनाम रुद्रा

किस्म मुकदमा 88:89:136L:2A मि. नं. 103 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही	मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो ईस हुकम की तामील में जारी हुए
11.12.03	रजिस्ट्रार रिपोर्ट कर अवलोकन किया गया लडरण धारा 88,89 एवं 136LR 8C8 के अन्तर्गत दलील शिफ्ट किया जावे तथा तबकी प्रति रादी, अधीनस्थ नोटिस की जावे साथ ही तहशीलदार नाथ से तहसालक रिपोर्ट ली जाकर पत्रावली दिनांक 20/12-03 को भेज दी।		पत्रावली
30/12/03	पोठासीन अधिनियम के अन्तर्गत कार्य में रहने से पूर्व हुकम प्रस्तुत हो।	27.1.04 को	उप जिला कलेक्टर बारां
27.1.04	पत्रावली भेज हुकम की तहशीलदार नाथ से रिपोर्ट ली जाकर पत्रावली दिनांक 20.2.04 को भेज दी।		
20/2/04	पत्रावली भेज हुकम की तहशीलदार नाथ से रिपोर्ट तहसालक रुद्र पत्रावली दिनांक 10/3/04 को भेज दी।		
10/3/04	पत्रावली भेज हुकम की तहशीलदार नाथ से रिपोर्ट भेज हुकम की तहसालक रुद्र पत्रावली दिनांक 0/4/04 को भेज दी।		

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां


उनवान

देवकरण बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या D029/03

दायरा तिथि :- 11.12.2003

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। रकबा - कमी पूर्ति के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती हैं, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा।</p> <p>निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बनवारी लाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां उपखण्ड अधिकारी बारां</p>	